नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 187/2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. सोहन पिता धन्ना माली नि0 रनिंगपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

---------प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

---------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 23-10-20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 20.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा रनिंगपुरा पटवार मण्डल चमनपुरा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 227/219 कुल खसरा 01 रकबा 05 बीघा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से आराजी नम्बर 219 बिलानाम काबिल काश्त से अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है । आराजी नम्बर 219 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा बिलानाम काबिल काश्त के मेर के सहारे – सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज

प्रकरण में मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा रनिंगपुरा के आराजी न0 219 रकबा 10–06 बीघा मे से 0–08 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है । राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार बनेडा प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है –

1. प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे पहुंचने हेतु उक्त आराजी नं0 219 का रास्ते के लिए उपयोग करता आ रहा है ।
2. प्रार्थी को उक्त खातेदारी भूमि मे पहुंचने हेतू कोई रास्ता रेकार्ड मे दर्ज नही है तथा न ही वैकल्पिक रास्ता है ।
3. ग्राम रनिंगपुरा में खातेदारी आराजी नं0 219 रकबा 10–06 बीघा भूमि किस्म गैमु. मगरी बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है । जिसमे से 0–08 बीघा किस्म गैमु. मगरी भमि रास्ते हेतू चाही गई है तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग है ।
4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 28476/– प्रति बीघा से 0–08 बीघा भूमि की मालियत 11391/– बनती है ।
5. प्रार्थी के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग है ।
6. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि नगर विकास न्यास भीलवाडा की पेराफेरी मे स्थित है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था । इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा रनिंगपुरा के आराजी न0 219 रकबा 10–06 बीघा मे से 0–08 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। एंव मौजा रनिंगपुरा के आराजी न0 219 रकबा 10–06 बीघा मे से 0–08 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त रनिंगपुरा के आराजी न0 219 रकबा 10–06 बीघा मे से 0–08 बीघा भूमि का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जाने योग्य है मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार बनेडा के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किये जाने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा (राज)

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम रनिगपुरा पटवार मण्डल चमनपुरा तहसील बनेडा स्थित आराजी नं0 227/219 कुल खसरा 01 रकबा 05 बीघा मे पहुंचने हेतू ग्राम रनिंगपुरा के आराजी न0 219 रकबा 10–06 बीघा किस्म गैमु. मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त मे से 0–08 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0–08 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा